

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/सांवि०पदा०-143/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० अमृता भारती, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमडलीय अस्पताल, हिलसा, नालन्दा का दिनांक-14.09.2020 से 27.08.2023 तक अध्ययन अवधि तथा दिनांक-14.09.2020 से 01.02.2024 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है -

i.	दिनांक-14.09.2020 से 27.08.2023 तक	- अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।
ii.	दिनांक-28.08.2023 से 01.02.2024 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / --

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

896(2)

ज्ञापांक-2/सांवि०पदा०-143/2024-

पटना, दिनांक 30/5 /2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा/उपाधीक्षक, अनुमडलीय अस्पताल, हिलसा, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/डा० अमृता भारती, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमडलीय अस्पताल, हिलसा, नालन्दा/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

५